संख्या 713/चौवालिस-2-29/89

प्रेषक,

श्री आर0एन0 सिन्हा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/
नोयडा एवं बीडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 1989

विषय :- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में गठित चयन समितियों में अनुसूचित जाति के एक अधिकारी को अनिवार्य रूप से नामित किया जाना।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 176/चौवालिस-2-29/89, दिनांक 4 फरवरी, 1989 में यह निर्देश जारी किये गये हैं कि निगमों/उपक्रमों को चयन समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के एक अधिकारी को अनिवार्य रूप से नामित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निगमों द्वारा गठित चयन समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति का जो सदस्य अनिवार्य रूप से नामित किया जाना है वह यथा सम्भव चयन से सम्बन्धित उपक्रम/निगम से भिन्न संस्था का होना चाहिये। कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
आर0 एन0 सिन्हा,
अनु सचिव।

संख्या 713 (1)/44-2-29/89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) शासन के सम्बन्धित सचिव एवं विशेष सचिव।
(2) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से संबंधित सचिवालय के प्रशासकीय विभाग।
(3) राष्ट्रीय एकीकरण अनु0-1 को उनके अर्द्ध0शा0प0सं0 869/चालीस-1-15(4)/89, दिनांक 21 अप्रैल, 1989 के अनुक्रम में 45 प्रतियों के साथ।
(4) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1।
(5) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
आर0 एन0 सिन्हा,
अनु सचिव।